

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता )

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022  
प्र.इ.रि.स 216/22 दिनांक 21/6/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट - धाराएं 7, पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018  
(2) अधिनियम भा.द.स. - धाराएं -  
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं -
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 27 समय 5-15 P.M.  
(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 01.06.2022 समय 4.45 पी.एम  
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 17.05.2022 समय 11.00 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटना स्थल :  
(1) थाना से दिशा व दूरी - बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 300 किलोमीटर  
(2) पता - कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़ के सामने चाय की थड़ी,।  
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....  
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता -  
परिवादी  
(1) नाम : श्री राम लाल श्रीमाली  
(2) पिता का नाम : श्री जगन्नाथ श्रीमाली  
(3) आयु : 70 साल  
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय  
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....  
..... (6) व्यवसाय : सेवानिवृत्त।  
(7) पता : निवासी गांव बडवई तहसील डुंगला जिला चित्तौड़गढ़।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -  
श्री मूलचन्द वर्मा पुत्र श्री शंकर लाल जी जाति वर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रघुनाथगढ़, पुलिस थाना दादीया, तहसील एवं जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अतिरिक्त चार्ज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण -
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो पृष्ठ अलग से नत्थी करे

21/6

- ) कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति:-
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य - 15000/- रुपये
  11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या ( अगर हो तो )
  12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट :-

सेवामे,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
चित्तौड़गढ़।

विषय :- कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदय,

उक्त विषय में निवेदन है की मैं मुझ प्रार्थी राम लाल श्रीमाली सेवानिवृत एमपीडब्ल्यू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , निवेदन है की हमारे वेतन विसंगती होने के कारण मेने जोधपुर हाईकोर्ट में वाद प्रस्तुत किया कोर्ट से हमारे पक्ष में निर्णय होने पर मेने कार्ट आदेश के साथ प्रार्थना पत्र श्रीमान खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडीसादडी को फिक्सेशन करने बाबत दिया इसके बाद सम्बधित बाबू प्रताप सिंह जी से मिला उन्होने सर्विस बुक मुझे देकर कहा की आप यह सर्विस बुक लेखाधिकारी श्री मूलचन्द जी पगारिया को दे दी बाद में दिनांक 13.05.22 को मैं लेखाधिकारी से मिला उनसे पूछा की मेरा काम हो गया क्या उन्होने कहा काम तो हो गया है मगर आप परिश्रम के 20000 हजार रुपये प्रताप सिंह जी को दे देना मेने कम करने को कहा तो उन्होने कहा 15000 देना ही पडेगा पेसे देकर सेवा पुस्तिका एवं अन्य रिकार्ड रमेश भील बाबु पीएमओ ऑफिस ले जाना फिर मैं रमेश बाबु से मिला तो उन्होने कहा आपका काम हो गया है उसके बाद मेने कहा मेहनतान के पेसे साहब ने प्रतापसिंह जी को देने को कहा है तो रमेश जी ने कहा की मैं साहब से बात कर लुंगा मगर पेसे 15000 रुपये प्रतापसिंह बाबुजी को नही देना है मुझे ही देना है मैं साहब से बात कर लुंगा मैं रमेश बाबु को 15000 रिश्वत राशि नही देना चाहता हु अतः श्रीमान से निवेदन है की उचित कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करावे रिश्वत के लेन देन के सम्बध में वार्तालाब लेखाधिकारी श्री मुलचन्द पगारिया ही करेंगे

दिनांक 17.05.2022

एसडी/-  
प्रार्थी

राम लाल पुत्र जगन्नाथ श्रीमाली  
सेवा निर्वत एम.पी.डबल्यू. चिकित्सा  
विभाग निवासी गांव बडवई त0  
डुगंला जिला चित्तौड़गढ़  
मोबाईल नम्बर 9784288699

### कार्यवाही पुलिस

दिनांक : 17.05.2022 समय : 11.00 ए.एम. पर कार्यालय में परिवादी के रूप में श्री राम लाल पुत्र श्री जगन्नाथ श्रीमाली जाति बाहम्मण उम्र 70 वर्ष निवासी गांव बडवई तहसिल डुगंला जिला चित्तौड़गढ़ कार्यालय हाजा में उपस्थित आया जिसके





द्वारा एक स्वहस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं जिला चित्तौडगढ़ की डुंगला तहसिल के बडवाई गांव का रहने वाला हूं मैं चि0 एवं स्वास्थ्य विभाग में एमपीडब्ल्यू के पद पर कार्यरत था मेने 2001 अगस्त में स्वेच्छीक सेवानिवृत्ती ले ली हमारे वेतन विसंगती होने के कारण मेने हाईकोर्ट में वाद प्रस्तुत किया जिस पर हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया उक्त फेसले के सम्बन्ध में मैं श्री मूलचन्द लेखाधिकारी सीएमएचओ ऑफिस चित्तौडगढ़ से मिला तो उन्होंने कहा की आपका काम हो जायेगा आपको इसके लिये 20000 हजार रुपये देने पड़ेगा मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 15000 रुपये में फिक्शेशन कार्य करना तय हुआ व मुझे बताया की 15000 रुपये पीएमओ ऑफिस में बाबू रमेश जी बाबूजी को दे देना । मैं श्री मूलचन्द व रमेश जी बाबूजी को 15000 रुपये रिश्वत राशि के नही देना चाहता हूँ एवं दोनों को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ कानूनी कार्यवाही करे। । परिवादी से रिपोर्ट के सम्बन्ध में आवश्यक पुछताछ की तो उपरोक्त तथ्यों की पुष्टी करते हुए बताया कि मेरी श्री श्री मूलचन्द लेखाधिकारी व रमेश जी बाबूजी से कोई रंजिश या पुरानी दुश्मनी नही है तथा ना ही कोई भी रूपयों का लेन — देन बकाया है। मजमून रिपोर्ट व मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि के लेन — देन का पाया जाने से ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली को डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने की समझाईश दी गई थी ब्यूरो कार्यालय से श्री मान सिंह कानि न0 571 को बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा श्री मान सिंह कानि न0 571 को निर्देश दिये रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कर आरोपी की आम शोहरत बाबत जानकारी भी हासिल कर मय परिवादी के पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवे। परिवादी को भी इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये । दिनांक : 17.05.2022 समय : 11.50 ए.एम. पर श्री मान सिंह कानि न0 571 मय परिवादी श्री रामलाल श्रीमाली के कार्यालय हाजा में उपस्थित हो बताया की मैं कार्यालय से परिवादी श्री रामलाल श्रीमाली के साथ गया परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली सीएमएचओ ऑफिस के अन्दर गया कुछ समय बाद परिवादी बाहर आकर मुझे टेप रिकार्डर बन्द कर मुझे सूपूर्द कर बताया की मेरी श्री मूलचन्द लेखाधिकारी से वार्ता हो गई श्रीमूलचन्द लेखाधिकारी मेरे से 15000 रिश्वत की मांग करते हुये पीएमओ ऑफिस के बाबू श्री रमेश जी को उक्त रिश्वत राशि देने को कहा और बताया की आपका कार्य हो जायेगा । श्री मान सिंह कानि ने यह भी बताया की आरोपी श्री मूलचन्द की आम शोहरत अच्छी नही होकर भ्रष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होना बताया। इसके उपरान्त टेप रिकार्डर को सुरक्षित मालखाना में रखवाया जाकर परिवादी को हिदायत कि की रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान श्री मूलचन्द लेखाधिकारी ने रिश्वत राशि श्री रमेश बाबू को देने के लिये कहा है तो उससे भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराये इस पर परिवादी ने बताया की श्री रमेश बाबूजी पीएमओ ऑफिस में नही है मैं कल आपको बता दूंगा इस पर श्री मान सिंह कानि0 को आवश्यक हिदायत दी की परिवादी से सम्पर्क कर श्री रमेश बाबू का रिश्वत मांग सत्यापन कराये इसके उपरान्त परिवादी को बताया श्री मान सिंह कानि0 के सम्पर्क में रहकर श्री रमेश बाबू का मांग सत्यापन कराये इसके उपरान्त परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली को रुखसत किया गया। दिनांक : 18.05.2022 समय 1.35 पी.एम. पर श्री मान सिंह कानि0 ने जरिये मोबाईल वार्ता मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी से सम्पर्क में रहकर श्री रमेश बाबू से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता कराई इसके उपरान्त श्री मानसिंह कानि0 ने परिवादी से वार्ता कराई तो परिवादी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये और बताया की रुपये की व्यवस्था हो जाने पर कार्यालय में आ जाना व गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत किया। दिनांक : 18.05.2022 समय 06.00 पी.एम.पर श्री कानि0 मानसिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर टेप रिकार्डर पेश की जिसे मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया व आवश्यक पूछताछ कर गोपनीयता बरतने की हिदायत दी इसके उपरान्त श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कक्ष में मन दया लाल चौहान पुलिस निरीक्षक को बुला कर उपरोक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में

25/1



अवगत करा कर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट देकर निर्देश दिये की परिवादी श्री रामलाल श्रीमाली से सम्पर्क में रहकर अग्रीम कार्यवाही करे। दिनांक 31.05.2022 समय 06.00 पीएम पर कानि मानसिंह ने बताया की परिवादी ने जरिये दूरभाष मुझे बताया की मेरे पास रुपये की व्यवस्था हो गई है मैं कल आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर कार्यालय के समस्त स्टाफ को सूबह 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई व श्री श्याम लाल हैड कानि० को दो स्वतन्त्र गवाहन को सुबह 09.00 एम पर उपस्थित होने के लिये जरिये तेहरीर निर्देश दिये। दिनांक 01.06.2022 समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री राम लाल पुत्र श्री जगन्नाथ श्रीमाली जाति बाहम्मण उम्र 70 वर्ष निवासी गांव बडवई तहसिल डुगंला जिला चित्तौडगढ कार्यालय हाजा में उपस्थित आया जिसे कार्यालय में बिठाया गया। दिनांक 01.06.2022 समय 09.15 एएम पर इस समय तलबी शुद्धा स्वतन्त्र गवाहन श्री सुरेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री कजोडीमल जी जोशी उम्र 51 वर्ष जाति बहाम्ण निवासी म०न० 69 मधुवन प्रथम चित्तौडगढ हाल व्याख्यता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंथी जिला चित्तौडगढ एवं श्री राजमल सुखवाल पुत्र श्री श्याम लाल सुखवाल जाति सुखवाल बहाम्ण निवासी पारलिया तहसिल भदेसर जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक राजकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंथी जिला चित्तौडगढ कार्यालय हाजा में उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बैठाया गया। दिनांक 01.06.2022 समय 09.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में परिवादी व स्वतन्त्र गवाहन को बुलाया तो परिवादी ने अपना परिचय बताते हुये बताया कि मैं रिश्वत राशि पन्द्रह हजार रुपये लेकर आया हूँ। अग्रीम कार्यवाही करे इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को मैंने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु निवेदन करने पर दोनों ने अपनी-अपनी सहमति व्यक्त करने पर परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराकर परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना स्वीकार किया व रिपोर्ट स्वहस्तलिखित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया। परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकलवाई जाकर दिनांक 17.05.2022 को हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई जिनके द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन होना बताया। परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली व आरोपी श्री मूलचन्द लेखाधिकारी के मध्य रिकॉर्ड शुदा वार्ता की समय 9.30 ए.एम. पर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट प्रथक से रूबरू गवाहान के समक्ष मुर्तिब की जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की सी. डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी. डी. पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सी. डी. को सिलचिट किया गया तथा डब सी.डी. भी अलग से तैयार की गई। दोनों सी.डी. को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 01.06 .2022 समय 10.40 एएम पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 18.05.2022 को परिवादी व श्री रमेश बाबू से हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई जिनके द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन होना बताया। परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली व श्री रमेश बाबू के मध्य हुई मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट प्रथक से रूबरू गवाहान के समक्ष मुर्तिब की जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की सी. डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी. डी. पर दोनों गवाहान व परिवादी व सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर सी. डी. को सिलचिट किया गया तथा डब सी.डी. भी अलग से तैयार की गई। दोनों सी.डी. को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखवाया गया। 01.06 .2022 समय 11.00 एएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली को आरोपी अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक के कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रुपये के 02 नोट व



2000-2000 रुपये के 07 नोट कुल 15 हजार रुपये के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : -

1	एक नोट 2000/- रुपये का नम्बरी	7AE 820381
2	एक नोट 2000/- रुपये का नम्बरी	3BN 043722
3	एक नोट 2000/- रुपये का नम्बरी	6BE 071660
4	एक नोट 2000/- रुपये का नम्बरी	2GD 161406
5	एक नोट 2000/- रुपये का नम्बरी	5HU 835412
6	एक नोट 2000/- रुपये का नम्बरी	1HS 872352
7	एक नोट 2000/- रुपये का नम्बरी	6MU 937305
8	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	9TC 997181
9	एक नोट 500/- रुपये का नम्बरी	2UV 690012

कार्यालय के मालखाना से फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी को श्री आशा महिला कानि0 105 से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोलफथलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री रामलाल श्रीमाली के द्वारा पहनी हुई शर्ट की उपर की जेब में रखवाये गये। रिश्वत राशि के अलावा परिवादी के पास कोई अन्य कोई शै: नही छोडी गई। श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 305 से एक साफ काँच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री आशा महिला कानि0 105 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोलफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफथलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री आशा महिला कानि0 105 से कार्यालय से बाहर फिकवाकर फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी को भी कार्यालय के मालखाना में एक ओर सुरक्षित रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर इशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियों, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को



डिजिटल टेप रिकार्डर देते हुए परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा श्री श्री आशा महिला कानि0 105 को आवश्यक हिदायत के कार्यालय में छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब की गई। दिनांक 01.06 .2022 समय 11.15 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान मय परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली, स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश जोषी, श्री राजमल ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री श्याम लाल हैड कानि0 105, श्री मान सिंह-कानि0 571,, श्री दिनेश कानि न- 553 मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व डिजिटल टेप रिकॉर्डर के जरिये निजी कारो से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु राजकिंय साँवलिया चिकित्सालय चित्तौडगढ में स्थित पीएमओ ऑफिस की ओर रवाना हुए। दिनांक 01.06 .2022 समय 11.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान रवाना शुदा साँवलिया चिकित्सालय चित्तौडगढ परिसर में पंहुच वाहन को साईड में खडा कर परिवादी को श्री रमेश बाबू को मय रिकार्डर के रिश्वत राशि देने हेतु पीएमओ ऑफिस की ओर रवाना किया साथ ही मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्य गण अपनी अपनी उपस्थिती छूपाते हुये परिवादी के पिछे पिछे रवाना हुये व परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। दिनांक 01.06 .2022 समय 11.40 एएम परिवादी श्री रामलाल श्रीमाली मन पुलिस निरीक्षक के पास आकर टेप रिकार्डर पेश कर बताया की श्री रमेश बाबूजी पीएमओ ऑफिस में नहीं है वंहा पर उपस्थित कर्मचारी ने बताया की श्री रमेश जी अपनी पूत्री को लेकर कोटा गये हुये है इस पर परिवादी ने बताया की 15000 रिश्वत राशि श्री मूलचन्द जी भी ले लेंगे इस पर परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9784288699 से आरोपी श्री मूलचन्द लेखाधिकारी के मोबाईल नम्बर 9928566169 पर समय करिब 12.03 पीएम पर वार्ता कराई तो आरोपी ने बताया की मैं आवरी माता की तरफ आया हुआ हूं आउगां पांचेक बजे तक तो परिवादी श्री रामलाल श्रीमाली ने बताया की मैं रुकू तो आरोपी हां कहा और बोला की पांचेक बजे तक आ जाउंगा इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक ने वॉईस रिकार्डर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा दिनांक 01.06 .2022 समय 12.15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन मय परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली मय ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहन के आरोपी श्री मूलचन्द लेखाधिकारी के आने तक का इन्तजार के लिये सुरक्षित स्थान उदयपुर हाईवे रोड पर स्थित ढाबे के लिये रवाना हुये। दिनांक 01.06 .2022 समय 12.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त रवानाशुदा मय ट्रेप पार्टी के सुरक्षित स्थान उदयपुर हाईवे रोड पर स्थित ढाबे पर पंहुच आरोपी के आने का इन्तजार में मूकिम रहै। दिनांक 01.06 .2022 समय 4.14 पीएम पर परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली के मोबाईल नम्बर 9784288699 पर आरोपी के मोबाईल नम्बर 9928566169 पर कॉल आया व आरोपी श्री मूलचन्द ने बताया की मैं आगया हूं आप सीएमएचओ ऑफिस के बाहर चाय की थडी पर आ जाओ में आपको वंही पर मिल जाउगां इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन मय परिवादी ट्रेप पार्टी के मय प्राईवेट वाहन से सीएमएचओ ऑफिस की तरफ रवाना हुये। दिनांक 01.06 .2022 समय 4.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सीएमएचओ ऑफिस से कूछ दूरी पर गाडी को रोक कर साईड में कर परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर आरोपी श्री मूलचन्द से रिश्वत राशि लेन देन हेतु रवाना किया व मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण अपनी उपस्थिती छूपाते हुये परिवादी के पिछे पिछे रवाना हुये व परिवादी के रिश्वत राशि देने के बाद का पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मूकिम रहै। दिनांक 01.06 .2022 समय 04.45 पीएम पर परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली ने पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन श्री सुरेश जोशी व श्री राजमल कनिष्ठ लिपिक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण आरोपी के पास पहुचें तो परिवादी ने उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुए बताया कि यही श्री मूलचन्द लेखाधिकारी है



जिसने अभी-अभी मेरे से पन्द्रह हजार रुपये रिश्वत राशि लेकर अपने पहनी हुई पेन्ट की साईड की बायी जेब में रखी है इस पर आरोपी श्री मूलचन्द को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व दोनों गवाहान का परिचय देते हुए आने के मंतव्य से अवगत कराया तथा संदिग्ध आरोपी दोनो हाथो को ट्रेप पार्टी के सदस्यगण से हाथ पकडवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री मूलचन्द वर्मा पिता श्री शंकर लाल जी वर्मा जाति वर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रघुनाथगढ तहसील सीकर पुलिस थाना दादीया जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री मूलचन्द वर्मा को परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो एकाएक आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया और घबरा गया जिस पर पूनः आरोपी से पूछा तो उसने बताया की 15000 रुपये मेने श्री रामलाल श्रीमाली से लिये है मन पुलिस निरीक्षक ने पूछा की आपने यह रिश्वत राशि किस एवज में ली है तो पूनः आरोपी चूप हो गया और घबरा कर बोला की साहब गलती हो गई है साथ ही रमेश चन्द्र के बारे में पूछा तो बताया की हां मेने उसको रिश्वत राशि लेने के लि ये कहा था और व राशि मेरे कहने पर ही ले रहा था जिस पर परिवादी श्री रामलाल श्रीमाली ने भी अपनी सहमती जताते हुये कहा की बताया की श्री रमेश चन्द्र जी को ही 15000 रुपये देने थे लेकिन आज बाहर चले जाने से यह रिश्वत राशि मेने श्री मूलचन्द जी से बात कर के उनके कहने पर ही इनको दी है। इसके उपरान्त घटनास्थल भीडभाड वाली जगह होने से व अग्रीम कार्यवाही हेतु सुरक्षित स्थान के लि ये आरोपी को म य स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी सदस्यों के रवाना भ्रनिव्यूरों कार्यालय पंहुचा। दिनांक 01.06 .2022 समय 04.50 पीएम पर आरोपी द्वारा अपने पहनी हुई पेन्ट के बायीं जेब में रखी हुई रिश्वत राशि 15000 रुपये गवाह श्री सुरेश जोशी से निकलवाई जाकर उक्त नोटों को गिनवाया गया तो 2000-2000 रुपये के 7 नोट व 500 - 500 रुपये के 2 नोट कुल पन्द्रह हजार रुपये के नम्बरी नोट होना पाये गये। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरो से किया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु मिलान हुए। उपरोक्त रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज पर सिलचिट बन्द कराकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथ में ग्रहण कर रखना पाया जाने से आरोपी के हाथों के धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दो साफ काँच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक काँच की गिलास के घोल में आरोपी श्री मूलचन्द के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्का गुलाबी घोल को काँच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क आर. एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री मूलचन्द के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्का गुलाबी घोल को काँच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क एल. एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् आरोपी श्री मूलचन्द द्वारा पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब से रिश्वत राशि बरामद किये जाने से उक्त पेन्ट को ससम्मान जनक दूसरी पेन्ट मंगवाकर पहनाई जाकर पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब जिसमें बरामद शुदा रिश्वत राशि को उल्टा करवाकर कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्का गुलाबी घोल को काँच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर



संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त पहनी हुई पेन्ट को वजह सबुत होने से जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सफेद कपड़े की थेली में रखकर सीलबन्द किया जाकर कपड़े की थेली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त आरोपी श्री मूलचन्द वर्मा से परिवादी श्री रामलाल श्रीमाली को फिक्सेशन सम्बन्धित दस्तावेज के लिये पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया इस पर परिवादी ने फिक्सेशन सम्बन्धित पेश दस्तावेज की प्रतिया पेश की जिसे परिवादी द्वारा पेश दस्तावेज की प्रतियों की दोराने ट्रेप शामिल कार्यवाही किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 01.06 .2022 समय 5.20 पीएम पर आरोपी के पास से मिले मोबाईल लावा ए 1 कम्पनी बरंग सफेद किपेड फोन जिसमें 2 सीम स्लॉट होकर सीम 1 सैलाट में 1 सीम लगी होकर नम्बर 9928566169 एयरटेल कम्पनी होकर मोबाईल को वजह सबुत जब्त कर उक्त मोबाईल को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर कपड़े की थेली को सीलड कर कपड़े की थेली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। दिनांक 01.06 .2022 समय 5.30 पीएम पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 01.06.2022 को परिवादी व श्री मूलचन्द से हुई रिश्वत राशि लेन देन से सम्बन्धित मोबाईल वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई जिनके द्वारा भी रिश्वत राशि लेन देन होना बताया। परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली व श्री मूलचन्द के मध्य हुई मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट प्रथक से रूबरू गवाहान के समक्ष मूर्तिब की जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की सी. डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी. डी. पर दोनों गवाहान व परिवादी व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी. डी. को सिलचिट किया गया तथा डब सी.डी. भी अलग से तैयार की गई। दोनों सी.डी. को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 01.06 .2022 समय 5.45 पीएम पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 01.06.2022 को परिवादी व श्री मूलचन्द से हुई रिश्वत राशि लेन देन से सम्बन्ध में हुई वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई जिनके द्वारा भी रिश्वत राशि लेन देन की पूष्टी हुई। परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली व श्री मूलचन्द के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट प्रथक से रूबरू गवाहान के समक्ष मूर्तिब की जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की सी. डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी. डी. पर दोनों गवाहान व परिवादी व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी. डी. को सिलचिट किया गया तथा डब सी.डी. भी अलग से तैयार की गई। दोनों सी.डी. को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 01.06 .2022 समय 06.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों गवाहान व आरोपी श्री मूलचन्द तथा परिवादी श्री रामलाल के समक्ष घटनास्थल, जहां पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण की गई जिसका निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब किया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। 01.06 .2022 समय 06.50 पीएम मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों गवाहान व आरोपी श्री मूलचन्द तथा के आरोपी के किराये के मकान लक्ष्मी धर्म कांटा के पिछे रिको क्षेत्र चंदेरिया पंधुच खाना तलाशी ली गई फर्द खाना तलाशी निवास स्थान अलग से मूर्तिब किया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 01.06 .2022 समय 07.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही के दोरान इस्तेमाल की गई मूल मैमोरी कार्ड 8 जीबी केडीएम माईक्रो कम्पनी को वजह सबुत होने से जरिये फर्द जब्त किया जाकर कपड़े की थेली पर रख कर कपड़े की थेली को सीलड कर मार्क -एम अकित कर कपड़े की थेली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 01.06 .2022 समय 08.00 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री मूलचन्द वर्मा के विरुद्ध जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाया गया है जिस पर आरोपी श्री मूलचन्द वर्मा पिता श्री शंकर लाल जी वर्मा जाति वर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रघुनाथगढ



तहसील सीकर पुलिस थाना दादीया जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ, जिला चित्तौडगढ, अतिरिक्त चार्ज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ, को उसके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना पृथक से उसके पुत्र श्री गोतम कुमार वर्मा को दी गई। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि श्री मूलचन्द वर्मा पिता श्री शंकर लाल जी वर्मा जाति वर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रघुनाथगढ तहसील सीकर पुलिस थाना दादीया जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ, जिला चित्तौडगढ, अतिरिक्त चार्ज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ, द्वारा श्री रामलाल श्रीमाली पुत्र श्री जगन्नाथ श्रीमाली उम्र 70 वर्ष जाति बह्मण निवासी गांव बडवई तहसील डुंगला जिला चित्तौडगढ से उसके फिक्सेशन करने की एंवज में 15000/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुये दिनांक 01.06.2022 को 15000/- रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री रमेश बाबु पीएमओ ऑफिस जिला चित्तौडगढ की भूमिका भी सदिग्ध पायी गयी। आरोपी श्री रमेश बाबु की भूमिका के सम्बन्ध में अनुसंधान से स्पष्ट होगा। इस प्रकार आरोपी श्री मूलचन्द वर्मा सहायक लेखाधिकारी कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ, जिला चित्तौडगढ, अतिरिक्त चार्ज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ, द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री राम लाल श्रीमाली से फिक्सेशन करने की एंवज में 15000/- रुपये की रिश्वत ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है जो कि धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री मूलचन्द वर्मा पिता श्री शंकर लाल जी वर्मा जाति वर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रघुनाथगढ तहसील सीकर पुलिस थाना दादीया जिला सीकर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ, जिला चित्तौडगढ, अतिरिक्त चार्ज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ, के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 तैयार कर वास्ते क्रमांक हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(दया लाल चौहान )

पुलिस निरीक्षक


भ्रष्टाचार ब्यूरो निरोधक ब्यूरो

चित्तौडगढ



कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दया लाल चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मूलचन्द वर्मा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं अतिरिक्त चार्ज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 216/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1911-15 दिनांक 2.6.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।